[2022] 12 एस. सी. आर. 299

क.

फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ओआरएस. v.

AMAZON.COM एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एल. एल. सी. और ओ. आर. एस. (2022 की सिविल अपील संख्या 859-860)

फरवरी 1,2022

[एन**.** वी**.** रमना**,** सीजेआई**,** ए**.** एस**.** बोपन्ना और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

सिद्धांत/सिद्धांत-प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत-न्यायिक हस्तक्षेप-दायरा और महत्वाकांक्षा-प्राकृतिक न्याय न्यायिक समीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है और प्रभावित पक्षों को प्रभावी प्राकृतिक न्याय प्रदान करना, निर्णय लेने से पहले, कानून के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है-अदालतों से यह सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक पालन करने की उम्मीद की जाती है कि पक्षकारों को निष्पक्षता का उच्चतम मानक प्रदान किया जाए-प्राकृतिक न्याय और अन्याय शपथ दुश्मन हैं-इसलिए, अदालत को ऐसे सिद्धांतों पर टिके रहने की आवश्यकता होती है और विशेष रूप से वाणिज्यिक प्रकृति के मामलों में जो हजारों लोगों की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं-जब भी किसी आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए अमान्य माना जाता है, तो मामले का कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है और नया निर्णय होता है।

ग

डी.

ई.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। XXXIX आर।2-ए-एक दीवानी अवमानना यू/या XXXIX आर बनाया जा सकता है।2-जब केवल 'अवज्ञा' हुई हो, तब नहीं, बल्कि केवल तभी जब 'जानबूझकर अवज्ञा' हुई हो-चूंकि जानबूझकर अवज्ञा का आरोप आपराधिक प्रकृति का है, इसलिए इसे अदालत की संतुष्टि के लिए साबित करना होगा-अवमानना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, शक्ति का प्रयोग केवल संभावनाओं के बजाय सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

च

मामलों को वापस लेते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** उच्च न्यायालय द्वारा **2021** के ओ**.** एम**.** पी**. (**ई**.** एन**.** एफ**.) (**सी**.** ओ**.** एम**.** एम**.) No.17** में पारित प्रक्रियात्मक आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।रिकॉर्ड से**,** यह देखा जा सकता है कि एफआरएल और एफसीपीएल को अपना काउंटर दाखिल करने या अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त समय या अवसर प्रदान नहीं किया गया था।**29.01.2021** पर**,** उन्हें ए से पहले चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करने का एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने की अनुमति दी गई थी।

जी.

एच.

02.02.2021 पर आदेश पारित किए गए थे।आदेशों के अवलोकन पर**,** यह पाया गया है कि एकल न्यायाधीश द्वारा गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटियां की गई थीं।प्राकृतिक न्याय न्यायिक समीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है।कानून के शासन को बनाए रखने के लिए निर्णय लेने से पहले प्रभावित पक्षों को प्रभावी प्राकृतिक न्याय प्रदान करना आवश्यक है।प्राकृतिक न्याय की चर्चा आमतौर पर प्रशासनिक कार्यों के संदर्भ में की जाती है**,** जिसमें निष्पक्ष सुनवाई की प्रक्रियात्मक आवश्यकता को पढ़ा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्याय न हो।जब न्यायिक समीक्षा की बात आती है**,** तो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत को न्यायालय के नियमों और प्रक्रियाओं में बनाया जाता है**,** जिनका सावधानीपूर्वक पालन करने की उम्मीद की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को पक्षकारों को प्रदान किया जाता है।यह सर्वविदित है कि प्राकृतिक न्याय अन्याय का कट्टर दुश्मन है।अदालतों से यह उम्मीद की जाती है कि वे सतर्क रहें और पक्षों को एक उचित अवसर प्रदान करें**,** विशेष रूप से उन वाणिज्यिक मामलों में जिनका अर्थव्यवस्था और हजारों लोगों के रोजगार पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यहाँ के तथ्यों पर आते हुए**,** यहाँ अपीलार्थियों को प्रदान किया गया अवसर अपर्याप्त था**,** और कानून की नज़र में इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।जब भी किसी आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए अमान्य करार दिया जाता है**,** तो मामले का कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है और नई कार्यवाही को खुला छोड़ दिया जाता है।जो कुछ भी किया जाता है वह यह है कि आदेश को उसके अंतर्निहित डेफ एक्ट के आधार पर खाली कर दिया जाता है।इस तरह की कार्यवाही को समाप्त नहीं किया जाता है और आमतौर पर वापस भेज दिया जाता है।**[**पारस **35,36,37** और **38] [325-**ई**-**एच**; 316-**ए**-**सी**]**

ग

डी.

ई.

2. आदेश **XXXIX** नियम **2-**ए सी**.** पी**.** सी**.** के तहत नागरिक प्रकृति की अवमानना की जा सकती है**,** जिसमें केवल "अवज्ञा" नहीं हुई है**,** बल्कि केवल "जानबूझकर अवज्ञा" हुई है।जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप आपराधिक दायित्व की प्रकृति का होने के कारण**,** अदालत की संतुष्टि के लिए यह साबित करना होगा कि अवज्ञा केवल "अवज्ञा" नहीं थी**,** बल्कि "जानबूझकर" और "सचेत" थी।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एफ**.** आर**.** एल**.** द्वारा स्थापित मुकदमे में**,** एकल न्यायाधीश ने पहले एफ**.** आर**.** एल**.** और प्रतिवादी 'ए' को विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के समक्ष अपनी खोज जारी रखने की अनुमति दी थी**,** और इस न्यायालय के दिनांक **22.02.2021** और **09.09.2021** और नीचे के न्यायालयों के अंतरिम आदेशों को देखते हुए**,** न्यायालय उपरोक्त निर्देशों को निर्धारित करने के लिए इच्छुक है क्योंकि 'जानबूझकर अवज्ञा के लिए पर्याप्त मानसिक तत्व' की पूर्व शर्त संतुष्ट नहीं है।ए में जारी दंडात्मक निर्देश

च

जी.

एच.

301

फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम AMAZON.COM एनवी निवेश होल्डिंग्स एलएलसी ए

2021 के ओ**.** एम**.** पी**. (**ई**.** एन**.** एफ**.) (**सी**.** ओ**.** एम**.** एम**.)** संख्या **17** में पारित एकल न्यायाधीश दिनांक **02.02.2021** और **18.03.2021** के विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है।इसके अलावा**,** अर्ब में दिनांकित **29.10.2021** का आक्षेपित आदेश। ए**. (**कॉम**.) 2021** का संख्या **64** और **63** अलग रखा गया है।**[**अनुच्छेद **41,42** और **44] [317-**एफ**-**जी**; 318-**ई**-**जी**; 319-**ए**]**

केनरा बैंक बनाम देबाशीष दास **(2003) 4** एस**.** सी**.** सी**. 557:[2003]**

2 एस**.** सी**.** आर**. 968-**पर निर्भर।

दिल्ली केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामहिमगिरी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर., ई. एफ. ए. (ओ. एस.) (कम.) 2021 का नंबर 4; राम किशन बनाम तरुण बजाज,

(2014) 16 एससीसी **204:[2014] 1** एस**.** सी**.** आर**. 538-**संदर्भित।

ग

मेसर्स भंडारी इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाममेसर्स महारिया राज ज्वाइंट वेंचर, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल।

11879 – संदर्भित किया गया।

निर्णीत विधि संदर्भ

डी.

[2003] 2 एससीआर **968**

पर भरोसा किया

पैरा **38 [2014] 1** एस**.** सी**.** आर**. 538** पैरा **41** में निर्दिष्ट है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 859-860।

ई.

ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.02.2021 और 18.03.2021 के निर्णय और आदेश से। (COMM) 2021 का No.17।

सह

2022 की सिविल अपील संख्या 861-862,864 और 863।

च

हरीश साल्वे, के. वी. विश्वनाथन, डेरियस खंभाता, रितिन राय, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, राघव शंकर, आदित्य मेहता, तुषार हाथीरामानी, सुश्री मधु गडोडिया, हर्षवर्धन झा, दीपक देशमुख, सुश्री अर्शिया शारदा, सुश्री रितिका सिन्हा, पंकज पटेल, श्रीमती युगांधरा पवार झा, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, करण लूथरा, प्राणजीत भट्टाचार्य, ऋषभ पारिख, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

जी.

गोपाल सुब्रमण्यम, रंजीत कुमार, अस्पी चिनॉय, गौरव बनर्जी, अमित सिब्बल, गुरु कृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता।, नकुल दीवान, अभिजीत सिन्हा, आनंद एस. पाठक, अमित के. मिश्रा, शशांक गौतम, सुश्री.

एच.

श्रीमोयी देब, विजय पुरोहित, मोहित सिंह, प्रोमित चटर्जी, सुश्री अनुभूति मिश्रा, शिवम पांडे, सुश्री समृद्धि होता, प्रतीक झवेरी, सुश्री निकिता बंगेरा, चेतन चावला, फैजान मिठाईवाला, सुश्री डिडन मिसरी, विजयेंद्र प्रताप सिंह, रचित बहल, सुश्री रूपाली सिंह, अभिज्ञान झा, प्रियंक लाडोइया, तन्मय शर्मा, सुश्री वन्या छाबड़ा, अर्नब रे, वेदांत कपूर, शौर्य मित्तल, अभिसार विद्यार्थी,

पवन भूषण, सुश्री हिमा लॉरेंस, सुश्री उज्ज्वला उप्पलुरी, एस. पी. मुखर्जी, टी. एस.उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ग

एन**.** वी**.** रमना**,** सीजेआई

1. सभी मामलों में अनुमति दी जाती है।

2. ये अपीलें अमेजन-फ्यूचर विवाद से जुड़े दिल्ली उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के खिलाफ हैं।2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 13547-48 और 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 13556-57,2021 की ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) (कम) 17 में पारित दिनांक 02.02.2021 और 18.03.2021 और 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 18089 और 18080 से उत्पन्न होने वाली सिविल अपील, अरब में पारित दिनांक 29.10.2021 के विवादित आदेशों के खिलाफ हैं। ए (कॉम.) अरब में 2021 की संख्या 63 और 2021 की आई. ए. संख्या 14285। ए (कॉम.) क्रमशः 2021 की संख्या 64।

डी.

ई.

3. शुरुआत में, इस न्यायालय के लिए इस मुद्दे का विश्लेषण करने से पहले एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि होना आवश्यक है। 22.08.2019 पर, अमेज़ॅन ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफ. सी. पी. एल.) के साथ शेयरधारक और शेयर-सदस्यता समझौते किए।इन उपकरणों के माध्यम से, अमेज़न ने एफ. सी. पी. एल. में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का इरादा किया। उपरोक्त समझौतों में एक मध्यस्थता समझौता था, जिसमें पक्षों ने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एस. आई. ए. सी.) के मध्यस्थता नियमों के अनुसार अपने विवादों को निपटाने का समाधान किया।पार्टियों ने नई दिल्ली में सीटें रखने का संकल्प लिया था।

च

जी.

4. आई. डी. 1 पर, एफ. सी. पी. एल. और उसके प्रवर्तकों ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफ. आर. एल.) के साथ एक शेयरधारक समझौता किया।इस समझौते के माध्यम से, एफ. सी. पी. एल. को कुछ सुरक्षात्मक अधिकार दिए गए थे।ऐसा एक अधिकार निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया हैः

एच.

303

फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम AMAZON.COM एन. वी. इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एल. एल. सी. [एन. वी. रमना, सीजेआई] ए

क.

एस**.** एच**.** ए**.** का खंड **10:**

10. किराया परिसंपत्तियों का हस्तांतरण

10.1 निष्पादन तिथि तक, कंपनी ने कम से कम 1,534 (एक हजार पांच सौ चौंतीस) खुदरा दुकानों/प्रारूपों की स्थापना की है, जिसमें पूरे भारत में बिना किसी सीमा के छोटे स्टोर प्रारूप शामिल हैं और ऐसे खुदरा आउटलेट/स्टोर कंपनी द्वारा संचालित व्यवसाय का एक अभिन्न अंग हैं जो कंपनी द्वारा संचालित व्यवसाय के एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।मौजूदा शेयरधारक और कंपनी आगे एफ. सी. एल. से सहमत हैं, करार करते हैं और वचन देते हैं कि कंपनी ऐसे वर्तमान व्यवसाय के संचालन के लिए एकमात्र वाहन होगी जिसमें खुदरा दुकानों/प्रारूपों का एक व्यापक नेटवर्क शामिल होगा जिसमें बिना किसी सीमा के छोटे स्टोर प्रारूप शामिल हैं जो कंपनी ने स्थापित किए हैं और पूरे भारत में काम कर रहे हैं और परिणामस्वरूप ऐसा व्यवसाय कंपनी के व्यवसाय का एक अभिन्न अंग बना रहेगा।

ग

डी.

10.2 तदनुसार, छोटे स्टोर प्रारूपों सहित ऐसे खुदरा दुकानों/प्रारूपों की कोई भी बिक्री, विनिवेश, हस्तांतरण, निपटान आदि इस समझौते के अनुसार होगी, और कंपनी और मौजूदा शेयरधारक वाचा के अनुसार इस समझौते के निर्वाह के दौरान, कंपनी, मौजूदा शेयरधारकों और एफ. सी. एल. के बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत होने के अलावा, खुदरा परिसंपत्तियों का हस्तांतरण या निपटान नहीं करेगी।

ई.

च

10.3 इसमें कुछ भी निहित होने के बावजूद, कंपनी और मौजूदा शेयरधारक इस बात पर सहमत हैं कि खुदरा परिसंपत्तियों को किसी प्रतिबंधित व्यक्ति के पक्ष में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, विभाजित या निपटाया नहीं जाएगा।इस बात में कोई विवाद नहीं है कि प्रतिबंधित व्यक्तियों में से एक में रिलायंस समूह शामिल था।

जी.

5. मार्च 2020 तक, एफ. आर. एल. ने प्रस्तुत किया कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण व्यापार में गिरावट आई थी क्योंकि ईंट-और-मोर्टार दुकानों के माध्यम से खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध थे।उसी के आलोक में, एफ. आर. एल. के बोर्ड ने खुदरा व्यवसायों और परिसंपत्तियों को रिलायंस को बेचने का फैसला किया। 25, 000 करोड़ रु.इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि

एच.

एफ. आर. एल. ने कहा कि दिवालिया होने के गंभीर और ठोस जोखिम के साथ लगभग 1,000 करोड़ रुपये के बकाया ऋण थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह इस संदर्भ में था कि बाद का लेनदेन इसकी वित्तीय स्थिति को कम करने और फ्यूचर ग्रुप के लगभग 25,000 कर्मचारियों के रोजगार की रक्षा के लिए किया गया था।

6. उपरोक्त बिक्री लेनदेन से व्यथित होकर, अमेज़ॅन ने एस. आई. ए. सी. के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की। अमेज़ॅन ने एस. आई. ए. सी. मध्यस्थता न्यायालय के पंजीयक के साथ आपातकालीन राहत के लिए एक आवेदन दायर किया जिसमें एफ. आर. एल. और एफ. सी. पी. एल. को रिलायंस समूह के साथ उपरोक्त लेनदेन में आगे कदम उठाने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की गई।समानांतर रूप से, एफ. आर. एल. ने संपत्ति की बिक्री की योजना में यातनापूर्ण हस्तक्षेप के लिए अमेज़ॅन के खिलाफ 2020 के सी. एस. (सी. ओ. एम. एम.) संख्या 493 के रूप में पंजीकृत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर किया।

ग

7. 25.10.2020 पर, आपातकालीन मध्यस्थ ने अमेज़ॅन के पक्ष में एक अंतरिम पुरस्कार पारित किया।यह ध्यान दिया जा सकता है कि आपातकालीन मध्यस्थ और एकल पीठ पूरी तरह से विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचे जो नीचे दिए गए हैं।- ए.

डी.

ई.

च

जी.

एच.

305

फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम AMAZON.COM एन. वी. इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एल. एल. सी. [एन. वी. रमना, सीजेआई] ए

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

	वैधानिक प्राधिकरणों/नियामकों को तथ्यों और कानूनी मुद्दों पर अपना दिमाग लगाने और सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। एक और पहलू यह है कि वर्तमान आवेदन में कोई अंतरिम निषेधाज्ञा क्यों नहीं दी जा सकती है क्योंकि एफआरएल और अमेज़ॅन दोनों ने पहले ही

	वैधानिक प्राधिकरणों/नियामकों को अपना प्रतिनिधित्व और जवाबी अभ्यावेदन दे दिया है और अब यह वैधानिक प्राधिकरणों/नियामकों को उस पर निर्णय लेना है। इसलिए, इस अदालत ने पाया कि एफआरएल के पक्ष में और अमेज़ॅन के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा देने का कोई मामला नहीं बनाया गया है। 13. नतीजतन, वर्तमान आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है, एफआरएल द्वारा अनुरोध किए गए अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुदान को अस्वीकार कर दिया जाता है, हालांकि, सांविधिक प्राधिकरणों/नियामकों को आवेदनों/आपत्तियों पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

ग

डी.

ई.

च

8. इस बीच, सी. सी. आई. और एस. ई. बी. आई. ने एफ. आर. एल.-रिलायंस द्वारा प्रस्तावित समग्र योजना को मंजूरी दी। इसके बाद, एफ. आर. एल. ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत व्यवस्था की समग्र योजना की मंजूरी के लिए आवेदन किया।

जी.

9. अमेज़ॅन ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 (2) के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 25.01.2021 पर आपातकालीन मध्यस्थ पुरस्कार को लागू करने के लिए एक याचिका दायर की और उसी पर पहली बार 28.01.2021 पर सुनवाई की गई।जैसा कि अपीलार्थी यहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफलता के आधार पर विवादित आदेश को चुनौती देते हैं, ए द्वारा पारित कुछ प्रक्रियात्मक आदेशों को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त है।

एच.

307

फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम AMAZON.COM एन. वी. इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एल. एल. सी. [एन. वी. रमना, सीजेआई] ए

विद्वान एकल न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मिधा, 2021 के ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) (सी. ओ. एम. एम.) No.17 में। 28.01.2021 पर, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

“1. सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई है।2. दलीलें आंशिक रूप से सुनी गईं।

3. बोर्ड के अंत में 29 जनवरी, 2021 को तर्कों को जारी रखने के लिए सूची।

4. आदेश को इस न्यायालय की वेबसाइट पर तुरंत अपलोड किया जाए।"

29.01.2021 पर, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

“1. सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई है।2. नोटिस जारी करें।उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील नोटिस स्वीकार करते हैं।

ग

3. 02 से और तर्क सुने गएः45 पीएम से 04:30 पीएम। 4.1 फरवरी, 2021 को तर्कों को जारी रखने के लिए सूची।

डी.

5. दोनों पक्षों ने प्रस्तुतियों का संक्षिप्त नोट प्रस्तुत किया है।6. प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि वह कल दोपहर तक याचिकाकर्ता के वकील को अग्रिम प्रति के साथ तथ्यात्मक पहलू पर प्रस्तुतियों का अतिरिक्त नोट कल शाम तक दाखिल करेंगे।प्रत्यर्थी संख्या 2 तथ्यों से संबंधित याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियों के संक्षिप्त नोट का भी जवाब देगा।

ई.

7. आदेश को इस न्यायालय की वेबसाइट पर तुरंत अपलोड किया जाए।"

01.02.2021 पर, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

च

“1. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ दायर की हैं जिन पर याचिकाकर्ता ने जवाब दाखिल किया है।

2. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकीलों ने मौखिक तर्कों को समाप्त कर दिया है।

जी.

3. 02 फरवरी, 2021 को याचिकाकर्ता की प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों के लिए सूची।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी पक्ष द्वारा आगे कोई लिखित निवेदन दायर नहीं किया जाएगा।"

10. 02.02.2021 पर**,** पहला मूल आदेश **[**पहला विवादित आदेश**]** निम्नलिखित तरीके से पारित किया गया थाः

एच.

308

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

“8. इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया मानना है कि आपातकालीन मध्यस्थ एक मध्यस्थ है; आपातकालीन मध्यस्थ ने प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ सही कार्रवाई की है; 25 अक्टूबर, 2020 का आदेश अमान्य नहीं है; 25 अक्टूबर, 2020 का आदेश मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत एक आदेश है। इस न्यायालय का विचार है कि 25 अक्टूबर, 2020 का आदेश मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील योग्य है। इस न्यायालय का स्पष्ट विचार है कि 25 अक्टूबर, 2020 का आदेश मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत इस न्यायालय के आदेश के रूप में लागू करने योग्य है। विस्तृत कारण आरक्षित क्रम में दिए जाएंगे।

ग

9. यह न्यायालय संतुष्ट है कि आरक्षित आदेश की घोषणा तक याचिकाकर्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल आदेश आवश्यक हैं।मामले के उस दृष्टिकोण में, प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आरक्षित आदेश की घोषणा तक आज दोपहर 04.50 पर यथास्थिति बनाए रखें।प्रत्यर्थियों को 25 अक्टूबर, 2020 के बाद उनके द्वारा की गई कार्रवाई और उन सभी कार्रवाइयों की वर्तमान स्थिति को 10 दिनों के भीतर दर्ज करने के लिए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है। सभी संबंधित अधिकारियों को 25 अक्टूबर, 2020 के आदेश का उल्लंघन करने वाले सभी मामलों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है और वे इस आदेश की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर वर्तमान स्थिति के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे।याचिकाकर्ता की अन्य प्रार्थनाओं पर आरक्षित आदेश में विचार किया जाएगा।

डी.

ई.

10. इस आदेश की प्रति पक्षकारों के वकीलों को कोर्ट मास्टर के हस्ताक्षर के तहत दस्ती दी जाए।इस आदेश की प्रति कोर्ट मास्टर के हस्ताक्षर के तहत श्री किर्तीमान सिंह, केंद्र सरकार के स्थायी वकील को भी दी जानी चाहिए, जो 25 अक्टूबर, 2020 के आदेश के उल्लंघन में प्रतिवादियों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई से निपटने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे। याचिकाकर्ता सभी अधिकारियों की सूची तीन दिनों के भीतर केंद्र सरकार के स्थायी वकील श्री कीर्तिमान सिंह को भेजेगा।"

च

जी.

11. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए स्थगन आदेश से व्यथित होकर, मामले को सुरक्षित रखते हुए, एफ. आर. एल. ने एफ. ए. ओ. ओ. एस. (कम.) में डिवीजन बेंच के समक्ष एक अंतर-अदालत अपील दायर की। 2021 का सं. 21।डिवीजन बेंच ने 08.02.2021 दिनांकित आदेश के माध्यम से निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

“12. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल अंतरिम राहत देने के उद्देश्य से एक प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण हैं।

एच.

309

और ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) (कम) No.17/2021 में अंतिम आदेश पारित करने में विद्वान एकल न्यायाधीश के रास्ते में नहीं आएगा और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आदेश यहाँ ऊपर की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित रूप से पारित किया जाएगा।"

12. अमेज़ॅन ने 2021 के एसएलपी (सी) नंबर 2856-57 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस आदेश के खिलाफ अपील की।दिनांक 22.02.2021 के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" इस बीच**,** एन**.** सी**.** एल**.** टी**.** की कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी**,** लेकिन यह योजना की मंजूरी के किसी भी अंतिम आदेश में समाप्त नहीं होगी।**"**

(बल दिया गया**)**

ग

13. फिर से 2021 के ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) (सी. ओ. एम. एम.) No.17 में विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त निर्देशों के साथ दूसरा विवादित आदेश पारित कियाः

"188. आपातकालीन मध्यस्थ सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक मध्यस्थ है; आपातकालीन मध्यस्थ का आदेश धारा 17 (1) के तहत एक आदेश है और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत इस न्यायालय के आदेश के रूप में लागू करने योग्य है।

डी.

.....

190. उत्तरदाताओं ने इसे प्रमाणित किए बिना शून्यता की एक अस्पष्ट याचिका उठाई है।आपातकालीन मध्यस्थ का अंतरिम आदेश एक शून्य नहीं है जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आरोप लगाया गया है।

ई.

191. सभी समझौतों को एक एकीकृत लेनदेन के रूप में जोड़ना/मानना एफआरएल पर याचिकाकर्ता के नियंत्रण के बराबर नहीं है और इसलिए, याचिकाकर्ता का निवेश किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता है।

च

192. उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) श्रेणी-दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को कोविड टीकाकरण प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा की जाने वाली Rs.20,00,000/- की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।लागत दो सप्ताह की अवधि के भीतर जमा की जानी चाहिए और जमा के एक सप्ताह के भीतर रसीद को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए।

जी.

193. प्रत्यर्थियों ने जानबूझकर और जानबूझकर 25 अक्टूबर, 2020 के अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया है और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 2 ए में उल्लिखित परिणामों के लिए उत्तरदायी हैं।

एच.

194. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 2 ए (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तरदाता संख्या 1 से 13 तक की संपत्तियों को एतद्द्वारा संलग्न किया जाता है।उत्तरदाता संख्या 1 से 13 तक को निर्देश दिया जाता है कि वे 30 दिनों के भीतर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI नियम 41 (2) के तहत फॉर्म 16 ए, परिशिष्ट ई में अपनी संपत्ति का एक हलफनामा दाखिल करें।प्रतिवादी संख्या 1,2,12 और 13 को अनुलग्नक बी-1 के प्रारूप में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है और उत्तरदाता संख्या 3 से 11 को प्रारूप में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है।

मैसर्स भंडारी इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के फैसले के अनुलग्नक ए-1 का।मेसर्स महारिया राज ज्वाइंट वेंचर, (ऊपर)

30 दिनों के भीतर उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ।"14. इस बीच, एफ. सी. पी. एल. और एफ. आर. एल. ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दूसरे विवादित आदेश के खिलाफ क्रमशः एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) (सी. ओ. एम.) No.50 और 2021 के 51 में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ का दरवाजा खटखटाया, जिस पर दिनांक 22.03.2021 के आदेश के माध्यम से रोक लगा दी गई थी।

ग

15. इसके बाद, अमेज़ॅन ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 22.03.2021 के आदेश के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष 2021 की SLP (C) संख्या 6113-6114 दायर की।

डी.

16. इस न्यायालय ने इस न्यायालय के समक्ष अमेज़ॅन द्वारा दायर सभी अपीलों को समेकित किया, मामलों को एक साथ सुना और केवल निम्नलिखित दो कानूनी प्रश्नों का उत्तर देते हुए 06.08.2021 दिनांकित अंतिम निर्णय पारित कियाः

ई.

आई**.** क्या एक आपातकालीन मध्यस्थ के पुरस्कार को मध्यस्थता अधिनियम के विचार के भीतर कहा जा सकता है**?**

ii.क्या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत पारित आदेश, प्रवर्तन कार्यवाही में, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील योग्य है?

च

17. इस न्यायालय ने पहले प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित तरीके से दियाः“41. इसलिए, हम यह घोषणा करते हुए पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम द्वारा संस्थागत नियमों के अनुसार विवाद का निर्णय लेने के लिए पूर्ण पक्ष स्वायत्तता दी गई है, जिसमें आपातकालीन मध्यस्थ अंतरिम आदेश देना शामिल हो सकते हैं, जिसे "पुरस्कार" के रूप में वर्णित किया गया है।इस तरह के आदेश दीवानी अदालतों में भीड़भाड़ कम करने और पक्षों को शीघ्र अंतरिम राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं।इस तरह के आदेश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत संदर्भित और बनाए जाते हैं।

जी.

दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गयाः

एच.

क.

“76. इस प्रकार पूछे गए दूसरे प्रश्न का उत्तर यह घोषणा करते हुए दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत किए गए आपातकालीन मध्यस्थ के आदेश को लागू करने के आदेश के खिलाफ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत कोई अपील नहीं है। नतीजतन, इस न्यायालय के सभी अंतरिम आदेश खाली हो जाते हैं।डिवीजन बेंच के 8 फरवरी, 2021 और 22 मार्च, 2021 के विवादित फैसलों को दरकिनार कर दिया गया है।अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है।"

18. यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने, आई. डी. 1 के उपरोक्त निर्णय में, मामले के गुण-दोष पर निर्णय नहीं दिया और अपने तर्क को केवल उन कानूनी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सीमित कर दिया जो उसमें उत्पन्न हुए थे।इस निर्णय को पढ़ने पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम का तर्क है कि इस न्यायालय ने आपातकालीन मध्यस्थ पुरस्कार को बरकरार रखा है और ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) (कम.) में प्रवर्तन आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया है। 2021 का संख्या 17, गुण-दोष के आधार पर, सही नहीं है।हालाँकि, निर्णय अपील तक पहुँचने वाले तथ्यों का वर्णन करता है, न्यायालय ने न तो तथ्यों पर कोई निष्कर्ष दिया, न ही प्रवर्तन कार्यवाही में न्यायमूर्ति मिधा द्वारा पारित आदेश के गुण-दोष पर निर्णय दिया।यही वह अंतर है जिसके कारण इस न्यायालय के समक्ष दूसरी बार मामले के गुण-दोष पर मुकदमे का वर्तमान दौर शुरू हुआ है।

ग

डी.

19. इस बीच, एफ. आर. एल. ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष आपातकालीन मध्यस्थ के पुरस्कार को खाली करने के लिए एस. आई. ए. सी. नियमों की अनुसूची 1 के पैरा 10 के तहत एक आवेदन दायर किया।खाली याचिकाओं पर मौखिक प्रस्तुतियों पर 12 से 16 जुलाई 2021 के बीच सुनवाई हुई और आदेश सुरक्षित रखे गए।

ई.

20. समकालीन रूप से, एकल न्यायाधीश के दिनांक 02.02.2021 और 18.03.2021 के आदेशों के गुणागुण से व्यथित होकर, एफ. सी. पी. एल. और एफ. आर. एल. ने क्रमशः 2021 के एस. एल. पी. (सी) संख्या. 13547-48 और 2021 के एस. एल. पी. (सी) संख्या. 13556-57 में सीधे इस न्यायालय के समक्ष अपील की।09.09.2021 पर इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

“पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

नोटिस जारी करें।

जी.

पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य पर कि पक्षों ने आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा पारित आपातकालीन पुरस्कार को खाली करने के लिए सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से संपर्क किया है और

एच.

उक्त मामले में दलीलें पूरी कर ली गई हैं और आदेश जल्द ही घोषित होने वाला है**,** हमें लगता है कि यह उचित है

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आगे की सभी कार्यवाही पर कुछ समय के लिए रोक लगाकर दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करना।

तदनुसार आदेश दिया।हम सभी प्राधिकरणों यानी एन. सी. एल. टी., सी. सी. आई. और एस. ई. बी. आई. को आज से चार सप्ताह की अवधि के लिए कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करने का निर्देश देते हैं।यह आदेश दोनों पक्षों की सहमति से पारित किया गया है।

चार सप्ताह के बाद इन मामलों को सूचीबद्ध करें।"

(जोर दिया गया)

21. इसके बाद, आपातकालीन मध्यस्थ के पुरस्कार को खाली करने के लिए एफ. आर. एल. और एफ. सी. पी. एल. द्वारा दायर आवेदनों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 21.10.2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

ग

22. खाली करने की याचिका को खारिज करते हुए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश को एफ. सी. पी. एल. और एफ. आर. एल. ने अरब में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। पेट। 2021 का संख्या 63 और अरब। पेट। 2021 का सं. 64।अरब में। पेट। 2021 की संख्या 64, एफ. आर. एल. ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं की मांग करते हुए आई. ए. संख्या 14285/2021 दायर की थीः

डी.

ए। माननीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांकित 21.10.2021 के विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगा दें।

ख. वैकल्पिक रूप से, अपीलार्थी को योजना का अनुसरण करने के लिए कदम उठाने की अनुमति देने वाला एक आदेश पारित करें, इस शर्त के अधीन कि वह एन. सी. एल. टी. द्वारा योजना के अनुमोदन के किसी भी अंतिम आदेश को पारित करने के लिए आमंत्रित नहीं करेगा।

ई.

23. दोनों मामलों में नोटिस जारी करते हुए, दिनांक 1 (3 वां विवादित आदेश) के आदेशों द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत) ने निम्नलिखित शब्दों में एफआरएल को कोई भी तत्काल राहत देने से इनकार कर दियाः“15. सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने बार-बार उल्लेख किया कि जब इस अपील का विषय विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 13547-<ID2 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और वास्तव में, इस न्यायालय के समक्ष दिनांकित 09.09.2021 कार्यवाही के आधार पर रोक लगा दी गई है और NCLT, CCI, SEBI को कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं, तो कैसे अंतरिम राहत, वह भी बिना किसी सुनवाई या रिकॉर्ड पर विपरीत पक्ष से कोई जवाब दिए, अंतरिम रोक के लिए आवेदन पर सुनवाई की जा सकती है और आदेश पारित किए जा सकते हैं।इस पर, श्री हरीश साल्वे, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय आवेदन को खारिज कर सकता है।

च

जी.

एच.

313

फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम AMAZON.COM एन. वी. इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एल. एल. सी. [एन. वी. रमना, सीजेआई] ए

क.

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आई. ए. सं. 14285/2021 (यू/एस. 151 सी. पी. सी.) होने पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदन को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।"24. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, एफ. सी. पी. एल. और एफ. आर. एल. ने क्रमशः 2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 18089 और 18080 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

25. एफ. आर. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया कि प्रवर्तन कार्यवाही में आदेश 2020 के सी. एस. (कम) संख्या 493 में दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 21.12.2020 के आदेश की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए दिए गए हैं, विशेष रूप से, यह निष्कर्ष कि एफ. आर. एल. का प्रतिवादी के साथ कोई मध्यस्थता समझौता नहीं है।उन्होंने आगे कहा कि हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है, लेकिन उक्त आदेश के खिलाफ कोई रोक नहीं है।

ग

26. विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रवर्तन कार्यवाही में पारित किए गए विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है क्योंकि उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत की गई है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपनाई गई प्रक्रिया ने अपीलार्थियों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है, क्योंकि उन्हें जवाब हलफनामा दायर करने का अवसर देने से इनकार करने के बाद, प्रवर्तन कार्यवाही में विवादित आदेशों में दर्ज किया गया है कि एफआरएल ने इस मुद्दे पर कोई याचिका नहीं दी थी कि आपातकालीन मध्यस्थ के आदेश क्यों अमान्य थे।

डी.

ई.

27. तीसरा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि प्रवर्तन कार्यवाही में पारित किए गए विवादित आदेश सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा दी गई मंजूरी को वापस लेने का निर्देश देकर आपातकालीन मध्यस्थ के अंतरिम पुरस्कार के दायरे से परे चले गए।

28. अंत में, सिंगापुर मध्यस्थता नियमों पर भरोसा करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण का अंतरिम आदेश दिनांक 21.10.2021, आपातकालीन मध्यस्थ के अंतरिम पुरस्कार को ओवरराइड करता है जो विवादित प्रवर्तन कार्यवाही का विषय है।नतीजतन, प्रवर्तन कार्यवाही और विवादित आदेश बाद की घटनाओं के कारण अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं।

च

जी.

29. एफ. सी. पी. एल. और उनके प्रवर्तकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने श्री साल्वे की दलीलों का समर्थन करते हुए विशेष रूप से तर्क दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कारण अपीलकर्ताओं के साथ हुए गंभीर अन्याय के कारण विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।ऐसा कोई जवाब दाखिल करने का अवसर नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न तथ्यात्मक और कानूनी त्रुटियां हुई हों।

एच.

आक्षेपित क्रम में रेंगना।उन्होंने आगे कहा कि इसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में पारित दंडात्मक आदेश, पुनर्विचार के योग्य हैं।

30. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रवर्तन कार्यवाही में पारित विवादित आदेश को दरकिनार करके या एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देने वाले अंतरिम उपाय को पारित करके अमेज़ॅन के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाएगा। वास्तव में, इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से पहले ही एन. सी. एल. टी. को कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करने के निर्देश के साथ एन. सी. एल. टी. की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देकर एक अंतरिम

व्यवस्था बनाई है।दूसरी ओर, दिनांकित 18.03.2021 के विवादित आदेश ने वैधानिक अधिकारियों द्वारा दी गई मंजूरी को वापस लेने का निर्देश दिया।

ग

31. अमेजन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि अपीलकर्ताओं ने आपातकालीन मध्यस्थ के लिए सहमत होने के बाद अपने आचरण से आपातकालीन मध्यस्थ के अंतरिम पुरस्कार की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा का प्रदर्शन किया है।जबकि उन्होंने निष्पक्ष रूप से कहा कि अमेज़ॅन एफ. सी. पी. एल. और अन्य पर लगाए गए दंडात्मक निर्देशों का पालन करने में रुचि नहीं रखता है, उन्होंने प्रस्तुत किया कि आपातकालीन मध्यस्थ के अंतरिम पुरस्कार की पुष्टि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा की जाती है, जिसका अपीलकर्ताओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए।विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा उन्हें दिए गए अंतरिम संरक्षण के खिलाफ कोई रोक नहीं दी गई है, तो अपीलार्थी उसी के उल्लंघन में काम नहीं कर सकते हैं और एन. सी. एल. टी. के समक्ष योजना को प्रभावी बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अंत में उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी चुनौती के लंबित रहने तक, न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को बनाए रखने और उन्हें प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, ताकि मध्यस्थता प्रक्रिया की प्रभावशीलता और पवित्रता को बनाए रखा जा सके।32. एमेजॉन की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अस्पी चिनॉय ने तर्क दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मुकदमे की कार्यवाही में पारित दिनांकित 21.12.20 आदेश पर अपीलार्थियों की निर्भरता गलत है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि, पहली बार में, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एफ. आर. एल. द्वारा स्थापित मुकदमा एक मध्यस्थता विरोधी मुकदमे की प्रकृति का था और मध्यस्थता कार्यवाही के लिए एक संपार्श्विक चुनौती थी जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा जिन टिप्पणियों पर भरोसा किया जा रहा है, वे दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा मांगी गई राहत को अस्वीकार करने वाले एक आदेश में किए गए थे।अंत में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने पारित किए गए किसी भी न्यायिक आदेश का पालन करने में विफल रहने के कारण इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

315

फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम AMAZON.COM एन. वी. इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एल. एल. सी. [एन. वी. रमना, सीजेआई] ए

क.

33. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए भारी दस्तावेजों को देखने के बाद, हमारे विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैंः

I. क्या 2021 के ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) (सी. ओ. एम.) No.17 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 02.02.2021 और 18.03.2021 के आदेश कानून में मान्य हैं?

II. क्या 29.10.2021 दिनांकित आदेश, अरब में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए थे। ए (कॉम.) 2021 का सं. 64 और 63, कानून में मान्य है?

प्रश्न सं। आई.

ग

34. 2021 के ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) (सी. ओ. एम. एम.) No.17 में विद्वान एकल न्यायाधीश [न्यायमूर्ति मिधा] के आदेश, एफ. सी. पी. एल. और एफ. आर. एल. को अपना बचाव स्थापित करने के लिए एक काउंटर दाखिल करने का अवसर नहीं दिए जाने के आधार पर विवादित हैं।एफ. सी. पी. एल. और उसके प्रवर्तकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जवाब देने के लिए कोई समय नहीं दिया गया था।उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई जवाब दायर किए बिना और सभी को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराए बिना 200 पन्नों का आदेश पारित किया गया है।उन्होंने आगे कहा है कि पक्ष को जवाब दाखिल करने का उचित अवसर दिए बिना अवमानना क्षेत्राधिकार में भी दंडात्मक निर्देश पारित नहीं किए जा सकते थे।

डी.

35. इस संदर्भ में, हमारा ध्यान 2021 के ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) (सी. ओ. एम. एम.) No.17 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रक्रियात्मक आदेशों की ओर आकर्षित किया गया है।रिकॉर्ड से, हम देखते हैं कि एफआरएल और एफसीपीएल को अपना काउंटर दाखिल करने या अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त समय या अवसर प्रदान नहीं किया गया था।29.01.2021 पर, उन्हें 02.02.2021 पर आदेश पारित करने से पहले, चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करने का एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने की अनुमति दी गई थी।

ई.

च

36. आदेशों के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटियां की गई थीं।प्राकृतिक न्याय न्यायिक समीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है।कानून के शासन को बनाए रखने के लिए निर्णय लेने से पहले प्रभावित पक्षों को प्रभावी प्राकृतिक न्याय प्रदान करना आवश्यक है।प्राकृतिक न्याय की चर्चा आमतौर पर प्रशासनिक कार्यों के संदर्भ में की जाती है, जिसमें निष्पक्ष सुनवाई की प्रक्रियात्मक आवश्यकता को पढ़ा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्याय न हो।जब न्यायिक समीक्षा की बात आती है, तो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत को न्यायालय के नियमों और प्रक्रियाओं में बनाया जाता है, जिनका सावधानीपूर्वक पालन करने की उम्मीद की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को पक्षकारों को प्रदान किया जाता है।

जी.

एच.

37. यह सर्वविदित है कि प्राकृतिक न्याय अन्याय का कट्टर दुश्मन है।अदालतों से यह उम्मीद की जाती है कि वे सतर्क रहें और पक्षों को एक उचित अवसर प्रदान करें, विशेष रूप से उन वाणिज्यिक मामलों में जिनका अर्थव्यवस्था और हजारों लोगों के रोजगार पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।यहाँ के तथ्यों पर आते हुए, यहाँ अपीलार्थियों को प्रदान किया गया अवसर अपर्याप्त था, और कानून की नज़र में इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

38. जब भी किसी आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए अमान्य करार दिया जाता है, तो मामले का कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है और नई कार्यवाही को खुला छोड़ दिया जाता है।जो कुछ किया जाता है वह यह है कि आदेश को उसके अंतर्निहित दोष के कारण खाली कर दिया जाता है।इस तरह की कार्यवाही को समाप्त नहीं किया जाता है और आमतौर पर वापस भेज दिया जाता है।[केनरा बैंक बनाम देबाशीष दास, (2003) 4 एस. सी. सी. 557 देखें] हालाँकि, इस मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद से पुल के नीचे बहुत पानी बह गया है, जिसे अब निम्नलिखित कारणों से अनावश्यक बना दिया गया हैः

ग

• प्रारंभ में, इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा योजना को अंतिम रूप दिए बिना एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी थी।

डी.

• इसके बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय के दिनांक 22.02.2021 के आदेश पर विचार किए बिना 18.03.2021 पर दूसरा विवादित आदेश पारित किया।

ई.

• इसके बाद, 2021 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) (सी. ओ. एम.) संख्या 50 और 51 में खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के उपरोक्त आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसे इस न्यायालय के समक्ष फिर से अपील में लिया गया था।• इस न्यायालय ने अंततः मामले के गुण-दोष पर निर्णय लिए बिना केवल दो कानूनी प्रश्नों का उत्तर देते हुए मामले का निपटारा कर दिया।

च

• इस बीच, एफ. आर. एल. और एफ. सी. पी. एल. ने आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा को खाली करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का रुख किया था।

• मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष उपरोक्त आवेदन के लंबित होने को देखते हुए, इस न्यायालय ने फिर से 09.09.2021 दिनांकित अंतरिम आदेश के माध्यम से, योजना पर अंतिम प्राधिकरण के बिना, NCLT के समक्ष कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी।39. एक पहलू जिस पर प्रकाश डाला जा सकता है, वह है विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 18.03.2021 आदेश में आदेशित दंडात्मक निर्देश, जो नीचे दिए गए हैंः

जी.

एच.

317

फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम AMAZON.COM एन. वी. इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एल. एल. सी. [एन. वी. रमना, सीजेआई] ए

क.

“192. उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) श्रेणी-दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को कोविड टीकाकरण प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा की जाने वाली Rs.20,00,000/- की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।लागत दो सप्ताह की अवधि के भीतर जमा की जानी चाहिए और जमा के एक सप्ताह के भीतर रसीद को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए।

193. प्रत्यर्थियों ने जानबूझकर और जानबूझकर 25 अक्टूबर, 2020 के अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया है और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 2 ए में उल्लिखित परिणामों के लिए उत्तरदायी हैं।

ग

194. संहिता के आदेश XXXIX नियम 2 ए (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तरदाता संख्या 1 से 13 तक की संपत्तियों को इसके द्वारा संलग्न किया जाता है।उत्तरदाता संख्या 1 से 13 तक को निर्देश दिया जाता है कि वे 30 दिनों के भीतर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI नियम 41 (2) के तहत फॉर्म 16 ए, परिशिष्ट ई में अपनी संपत्ति का एक हलफनामा दाखिल करें।प्रत्यर्थी संख्या 1,2,12 और 13 को निर्देश दिया जाता है कि वे अनुलग्नक बी-1 और उत्तरदाता संख्या के प्रारूप में एक अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करें। 3 से 11 तक को मैसर्स भंडारी इंजीनियर्स के फैसले के अनुलग्नक ए-1 के प्रारूप में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है।

डी.

बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाममेसर्स महारिया राज ज्वाइंट वेंचर, (ऊपर)

30 दिनों के भीतर उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ।"40. हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश

ई.

मेसर्स भंडारी इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बनामएम/एस।

महारिया राज संयुक्त उद्यम**, 2019** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन डेल। **11879,** जिसे दिल्ली केमिकल में एक डिवीजन बेंच के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है और

फार्मास्युटिकल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और ए**.** एन**.** आर**.** बनामहिमगिरी रियल्टर्स प्रा**.**

च

लिमिटेड और ए. एन. आर., ई. एफ. ए. (ओ. एस.) (कम.) 2021 का नंबर 4। 41.अलग तरह से देखे जाने पर, नागरिक प्रकृति की अवमानना को आदेश XXXIX नियम 2-ए सी. पी. सी. के तहत तब नहीं किया जा सकता है जब केवल "अवज्ञा" हुई हो, बल्कि केवल तभी किया जा सकता है जब "जानबूझकर अवज्ञा" हुई हो।जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप आपराधिक दायित्व की प्रकृति का होने के कारण, अदालत की संतुष्टि के लिए यह साबित करना होगा कि अवज्ञा केवल "अवज्ञा" नहीं थी, बल्कि "जानबूझकर" और "सचेत" थी।राम किशन बनाम तरुण बजाज, (2014) 16 एस. सी. सी. 204 के मामले में इस न्यायालय ने अवमानना अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के निहितार्थ पर विचार करते हुए कहा कि शक्ति का प्रयोग केवल संभावनाओं के बजाय सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।उस आचरण का वर्णन करते हुए जिसे "जानबूझकर अवज्ञा" माना जा सकता है, इस न्यायालय ने कहा किः

जी.

एच.

318

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

“12. इस प्रकार, एक अवमानक को दंडित करने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि आदेश की अवज्ञा "जानबूझकर" है।"विलफुल" शब्द एक मानसिक तत्व का परिचय देता है और इसलिए, किसी व्यक्ति के मन में उसके कार्यों का आकलन करने की आवश्यकता होती है, जो किसी के मन की स्थिति का संकेत है।“'विलफुल' का अर्थ है जानबूझकर जानबूझकर, सचेत, सोच-समझकर और जानबूझकर उससे होने वाले परिणामों की पूरी जानकारी के साथ।इसमें आकस्मिक, आकस्मिक, प्रामाणिक या अनजाने में किए गए कार्य या वास्तविक अक्षमता शामिल नहीं है।जानबूझकर किए गए कार्यों में अनैच्छिक या लापरवाही वाले कार्य शामिल नहीं हैं।इस कार्य को "बुरे उद्देश्य या उचित बहाने के बिना या जिद्दी, जिद्दी या विकृत रूप से" किया जाना चाहिए। जानबूझकर किए गए कार्य को लापरवाही, विचारहीन, लापरवाही या अनजाने में किए गए कार्य से अलग किया जाना चाहिए। इसमें लापरवाही या अनैच्छिक रूप से किया गया कोई भी कार्य शामिल नहीं है।एक व्यक्ति के जानबूझकर आचरण का मतलब है कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है और ऐसा करने का इरादा रखता है।इसलिए,

ग

उसकी ओर से बुरे उद्देश्य के साथ एक सुनियोजित कार्रवाई होनी चाहिए।भले ही किसी आदेश की अवज्ञा हो**,** लेकिन ऐसी अवज्ञा कुछ मजबूर करने वाली परिस्थितियों का परिणाम है जिसके तहत अवमानकर्ता के लिए आदेश का पालन करना संभव नहीं था**,** अवमानकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता है।

डी.

"जब तक अवमानना में कुछ हद तक चूक या कदाचार शामिल नहीं है, तब तक समर्पण या ज़ब्त करने का आदेश नहीं दिया जाएगा।"

ई.

(बल दिया गया**)**

42. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एफ. आर. एल. द्वारा स्थापित मुकदमे में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले एफ. आर. एल. और एमाज़ॉन को विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के समक्ष अपनी खोज जारी रखने की अनुमति दी थी, और इस न्यायालय के दिनांक 22.02.2021 और 09.09.2021 और नीचे दिए गए न्यायालयों के अंतरिम आदेशों को देखते हुए, हम उपरोक्त निर्देशों को निर्धारित करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि 'जानबूझकर अवज्ञा के लिए पर्याप्त मानसिक तत्व' की पूर्व शर्त संतुष्ट नहीं है।इसके अलावा, अमेज़ॅन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि अमेज़ॅन दंडात्मक निर्देशों के साथ आगे बढ़ने में रुचि नहीं रखता है।उपरोक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 02.02.2021 और 18.03.2021 के विवादित आदेशों में जारी दंडात्मक निर्देशों को दरकिनार कर देते हैं।43. मामले के गुण-दोष पर आते हुए, हम एक परेशान करने वाले पहलू का उल्लेख करना चाहते हैं जिसमें आपातकालीन पुरस्कार को लागू करने वाले अंतरिम आदेश ने 'प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण' से परे एक मानक को अपनाया है, जैसा कि कानून के तहत आवश्यक है। अदालतों से ए बनाते समय सतर्क रहने की अपेक्षा की जाती है।

च

जी.

एच.

319

फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एन. वी. इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एल. एल. सी. [एन. वी. रमना, सी. जे. आई.]

मामले के गुण-दोष पर टिप्पणियां, जो अनिवार्य रूप से गुण-दोष के आधार पर मामलों की सुनवाई करने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरणों को प्रभावित करेंगी।

44. इसलिए, हम ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) (सी. ओ. एम. एम.) में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश दिनांक 02.02.2021 और 18.03.2021 के आदेश को दरकिनार कर देते हैं। 2021 का No.17।

प्रश्न सं। **II.**

45. शुरुआत में, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की जाती है कि आई. ए. संख्या 14285/21 में दिनांकित 29.10.2021 का विवादित आदेश अरब में स्थानांतरित किया गया। ए (कॉम.) 2021 की सं. 64 को इस न्यायालय के आदेशों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार न करने के लिए अलग रखने की आवश्यकता है।हमारे दिनांकित 09.09.2021 आदेश ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा खाली आवेदन आदेश की वैधता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय पर कोई रोक नहीं लगाई।हमारी राय में, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा दायर धारा 37 (2), मध्यस्थता अधिनियम के तहत आवेदनों का निर्णय इस न्यायालय के समक्ष दायर पहले की गई अपीलों से अलग है।

ग

डी.

46. इसके अलावा, वर्तमान मामले में आपातकालीन मध्यस्थ के निर्णय के प्रभाव और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं।इसलिए, इन मामलों को अपने गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए वापस भेजने की आवश्यकता है।

ई.

47. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम आदेश देते हैंः

I. ओ. एम. पी. (ई. एन. एफ.) (कम.) में दिनांकित 02.02.2021 (पहला आक्षेपित आदेश) और 18.03.2021 (दूसरा आक्षेपित आदेश) के आक्षेपित आदेशों को अलग करना। 2021 का सं. 17।

II. अरब में दिनांकित 29.10.2021 के 3 वें आक्षेपित आदेश को अलग करना। ए. (कॉम.) 2021 का सं. 64 और 63। विद्वान एकल न्यायाधीश मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा और इसमें किए गए किसी भी अवलोकन से अप्रभावित, अपने गुण-दोष पर उचित आदेश पारित करेगा।

च

जी.

अंकित ज्ञान

मामले वापस भेजे गए।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

एच.